भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2384
16 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी इलाकों में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

2384 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ख) शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थानों में उचित ई-अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए क्या नीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं**,** तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) क्या सरकार उत्पादों को डिजाइन करने के लिए इलेक्टॉनिक्स विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली टैक्स क्रेडिट प्रणाली का कार्यान्वयन कर रही है**,** यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) : ई-कचरे के उत्पादन का अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों द्वारा सीपीसीबी को उपलब्ध कराए गए बिक्री के आंकड़ों और ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत अधिसूचित एक सौ छह (106) प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के औसत जीवन के आधार पर लगाया जाता है। इसलिए, ई-कचरा उत्पादन पर राज्य-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, चूंकि ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022, 01-04-2023 से प्रभावी हुए हैं, इसलिए 106 ईईई वस्तुओं से उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा की जानकारी केवल वित्त वर्ष 2023-24 से उपलब्ध है। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत, 21 ईईई वस्तुओं को अधिसूचित किया गया था और इन 21 ईईई वस्तुओं से उत्पन्न ई-कचरे से संबंधित पिछले चार वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23) की जानकारी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है:

वित्तीय वर्ष	ई-कचरा उत्पादन (मीट्रिक टन)
2019-20	10,14,961
2020-21	13,46,496
2021-22	16,01,155
2022-23	16,09,117
2023-24	17,51,236

(ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में ई-कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल, 2023 से ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। उक्त नियमों का उद्देश्य, ई-कचरे का ऐसे तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना है, जिससे ऐसे ई-कचरे से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव हो।

नियमों के तहत ई-कचरे का प्रबंधन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत पर आधारित है। ईपीआर के तहत, उपर्युक्त नियमों की अनुसूची-। में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के उत्पादकों को उत्पादन या बिक्री के आधार पर वार्षिक रीसाइक्लिंग लक्ष्य दिए गए हैं। उत्पादकों के लिए ई-कचरे के पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाणपत्र खरीदकर अपने रीसाइक्लिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। ईपीआर प्रमाणपत्र पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले पुनर्चक्रण उत्पादों (पुनर्चक्रण के अंतिम उत्पाद) की मात्रा के आधार पर बनाए जाते हैं।

इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में स्कूल और सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थाएं, थोक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आती हैं। ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 9 के अनुसार, अनुसूची । में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के थोक उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न ई-कचरा केवल पंजीकृत उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता को ही सौंपा जाए।

(ग) : जी नहीं।

******